बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना–800 014

संख्या– FC-244

प्रेषक,

एस० के० सिंह, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 06/04/2016

विषय– पटना वन प्रमंडल के क्षेत्राधीन मे० अल्ट्राटेक सीमेंट लि० कम्पनी द्वारा SH-4 पथ के किनारे फतुहा– इस्लामपुर रेलवे लाईन के उपरी पुल (आर०ओ०बी०) निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.77 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage- I) प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पटना वन प्रमंडल अन्तर्गत SH-4 पथ के किनारे फतुहा– इस्लामपुर रेलवे लाईन के उपरी पुल (आर०ओ०बी०) निर्माण हेतु अर्थात् मे० अल्ट्राटेक सीमेंट लि० कम्पनी के फैक्ट्री तक पहुॅंच पथ निर्माण कार्य के उपयोग में लायी जानेवाली कुल– 0.77 हे० वनभूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अपयोजन प्रस्ताव वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के पत्रांक 1238 दिनांक 23.07.2015 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 189 (ई०) दिनांक 16.02.1994 के द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है।

इस प्रकार मे० अल्ट्राटेक सीमेंट लि० कम्पनी के द्वारा फतुहा– इस्लामपुर रेलवे लाईन के उपरी पुल (आर०ओ०बी०) निर्माण हेतु अर्थात् सीमेंट के फैक्ट्री तक पहुॅंच पथ निर्माण कार्य के उपयोग में लायी जानेवाली कुल– 0.77 हे० वनभूमि का आकलन कर अपयोजन प्रस्तावित किया गया है।

3. प्रस्तावित अपयोजित होने वाली भूमि का Geo-referencing कराकर मानचित्र तैयार कराया गया है, जो संलग्न है।

4. जिला पदाधिकारी, पटना कार्यालय से निर्गत FRA 2006 प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना द्वारा प्रस्ताव के भाग–II में वनों का वानस्पतिक घनत्व शून्य अंकित किया है तथा प्रस्तावित स्थल पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन से संबंधित कोई भी सूचना वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पटना वन प्रमण्डल, पटना द्वारा प्रतिवेदित नहीं है। प्रस्तावित स्थल के आसपास कोई भी प्राकृतिक वन अवस्थित नहीं है।

6. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्दे की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन की अनुशंसा की जा सकती है–

(i) भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत् रहेगा।

(ii) 0.77 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 4,82,020/– (चार लाख बेरासी हजार बीस रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

(iii) हरितावरण को बनाये रखने के लिये 50 वृक्षों के वृक्षरोपण एवं 10 वर्षों तक इसके रखरखाव के लिये आवश्यक राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक दर पर पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

7. प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न भेजी जा रही है। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अतः अनुरोध है कि विषयाधीन प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के राँची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-I) प्राप्त की जा सकती है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
6/5/16
(एस० के० सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।